[ 2019 ] 4 एस. सी. आर 357

मुरुगन और ओआरएस।

वी.

केसेवा गौंडर (मृत) टीएचआर। एलआरएस। और ओआरएस।

( 2019 की सिविल अपील संख्या 1782)

फरवरी 25,2019

[ अशोक भूषण और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

सीमा अधिनियम, 1963-कला। 60 और 65-सूट संपत्ति थी

एक 'पीजी' को, जिसके दो बेटे थे, 'के' और 'बी' और तीन बेटियां 'पीजी' ने 1971 में अपने बेटों 'के' और 'बी' को जीवन ब्याज देते हुए वसीयत को निष्पादित किया और उसके बाद अपने बेटों के दो पुरुष उत्तराधिकारियों को-'पीजी' ने अपनी ओर से 'बी' की मृत्यु हो गई और अपने नाबालिग बेटे 'पी' की ओर से वाद संपत्ति का कुछ हिस्सा प्रतिवादियों को बेच दिया-1981-82-'बी' में उत्तरदाताओं की 1983 में मृत्यु हो गई, उनके नाबालिग बेटे 'पी' की मृत्यु हो गई 11.02.1986 बी की पत्नी ने 1986 में वादी के पक्ष में पंजीकृत रिहाई विलेख को निष्पादित किया-अपीलकर्ता (विचार के लिए 'के' के बेटे)-वादियों ने 1992 में इस आधार पर मुकदमा दायर किया कि 'बी' ने

उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की गई-खारिज-आयोजितः "फरमानों और उपकरणों" से संबंधित मुकदमों से निपटने वाले सीमा अधिनियम के भाग IV में कला शामिल है। 60 - Art.60 हालांकि एक मुकदमे की सीमा का प्रावधान करता है, लेकिन यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एक वार्ड के अभिभावक द्वारा की गई संपत्ति के हस्तांतरण को अलग करने के लिए एक मुकदमा है

विचाराधीन-Art.60 (b) (ii) एक मुकदमे को संदर्भित करता है जब एक वार्ड बहुमत प्राप्त करने से पहले मर जाता है-वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां 'पी' बहुमत प्राप्त करने से पहले मर गया-संरक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण से बचने के लिए सीमा वार्ड की मृत्यु के 3 साल बाद वार्ड की मृत्यु हो जाती है जब वह बहुमत प्राप्त करने से पहले मर जाता है-उसकी ओर से और उसकी ओर से 'बी' द्वारा बिक्री विलेख

न्यायालय की अनुमति के बिना निष्पादित नाबालिग पुत्र 'पी' एस के उल्लंघन में था। 8 ( 2 ) , 1956 अधिनियम और इसलिए अमान्य-बिक्री विलेख अमान्य होने के कारण और अमान्य नहीं होने के कारण, वादी Art.65 पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, सीमा की अवधि जिसके तहत 12 साल है-उच्च न्यायालय ने सही कहा

मुक़दमे के लिए वह सीमा कला द्वारा नियंत्रित थी। 60 और मुकदमे को समय के साथ रोक दिया गया था-अलगाव अमान्य होने के कारण, निर्धारित करने की आवश्यकता थी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इससे पहले कि वादी द्वारा कब्जे के लिए राहत का दावा किया जा सके-वादी द्वारा बिक्री विलेखों को अलग करने के लिए प्रार्थना किए बिना दायर किया गया मुकदमा, इस प्रकार, ठीक से तैयार नहीं किया गया था और निर्णय नहीं किया जा सकता था-'बी' द्वारा निष्पादित बिक्री विलेखों को अस्वीकार या अस्वीकार नहीं किया गया था। कानून द्वारा निर्धारित सीमा अवधि के भीतर परिहार-हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 - एस. 8.

हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 - धारा 8 (3)-नाबालिग या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में-चर्चा की गई।

शब्द और वाक्यांश-"निहित अधिकार" और "आकस्मिक अधिकार"

आयोजित के बीच अंतरः निहित अधिकार विषय वस्तु है एस। 19 1882 के अधिनियम के तहत आकस्मिक ब्याज पर विचार किया जाता है। 1882 के अधिनियम-संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 21। 19 , 21 .

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 सीमा अधिनियम, 1963 के भाग IV, जो "फरमानों और उपकरणों" से संबंधित मुकदमों से संबंधित है, में अनुच्छेद शामिल हैं।

59 और 60. अनुच्छेद 65 भाग 5 (संबंधित वाद) में निहित है -

बहुमत प्राप्त करने से पहले ही मर जाता है। [ अनुच्छेद 7,8 और 9] [366-जी; 367-डी; 360-ए-बी] 1.2 अनुच्छेद 65 के तहत सीमा की अवधि तब उपलब्ध होती है जब किसी भी संपत्ति पर अचल संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया जाता है।

उसमें शीर्षक के आधार पर ब्याज। वर्तमान एक ऐसा मामला है जिसमें पंजीकृत बिक्री विलेखों द्वारा संपत्ति को नाबालिग के पिता द्वारा हस्तांतरित किया गया था। इस प्रकार, जब बलरामन द्वारा बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था, तो उन्होंने नाबालिग के अधिकार को भी व्यक्त करने का इरादा किया था। बिक्री विलेख अमान्य होने और अमान्य नहीं होने के कारण, वादी अनुच्छेद 65 पर भरोसा नहीं कर सकते। प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि

मुक़दमे के लिए सीमा अनुच्छेद 60 द्वारा शासित थी और मुक़दमा स्पष्ट रूप से समय द्वारा वर्जित था। [ पैरा 11] [369-डी, ई] 1.3 वर्तमान मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 'बी' द्वारा अपनी और अपने नाबालिग बेटे 'पी' की ओर से निष्पादित बिक्री विलेखों को अदालत की अनुमति प्राप्त किए बिना निष्पादित किया गया था। हिंदू अल्पसंख्यक और मुरुगन और ओआरएस की धारा 8 (1) और 8 (2) का उल्लंघन करते हुए बिक्री विलेख।

वी. केसेवा गौंडर (मृत) टीएचआर। एलआरएस।

संरक्षकता अधिनियम, 1956 एक अमान्य बिक्री विलेख है। अलगाव, जो अमान्य थे, नाबालिग के कहने पर या उसकी ओर से वादी द्वारा कब्जे के लिए राहत का दावा करने से पहले अलग रखे जाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, बिक्री विलेखों को अलग करने के लिए प्रार्थना किए बिना वादी की ओर से दायर किया गया मुकदमा ठीक से तैयार नहीं किया गया था और इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। [ पारस 13,14,20] [370-एफ; 372-ए; 375-जी-एच]

1.4 24.03.1986 दिनांकित विमोचन विलेख को अनुलग्नक पी-1 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है। रिहाई विलेख के अवलोकन से यह संकेत नहीं मिलता है कि प्रतिवादियों के पक्ष में 'बी' द्वारा किए गए अलगाव का कोई संदर्भ है। नाबालिग की ओर से 'बी' द्वारा किए गए अलगाव का कोई संदर्भ नहीं होने के कारण, रिहाई विलेख को दावे के खंडन के रूप में पढ़ने का कोई अवसर नहीं है। नाबालिग। धारा 8 (3), 1956 अधिनियम नाबालिग या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को धारा 8 (3) में प्रासंगिक शब्दों का अधिकार देता है।

नाबालिग या किसी व्यक्ति के कहने पर जिसके तहत दावा किया जा रहा है

उसे "। इस प्रकार, नाबालिग की ओर से किए गए अलगाव को नाबालिग या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा टाला जा सकता है। यदि नाबालिग की बहुमत प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो जाहिर है, उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को अलगाव से बचने का अधिकार होगा। धारा 8 की उप-धारा (3) में प्राकृतिक संरक्षक द्वारा अचल संपत्ति के निपटान को संदर्भित किया गया है।

उप-धारा (1) या उप-धारा (2) का अमान्य के रूप में उल्लंघन। जब कोई पंजीकृत बिक्री विलेख अमान्य होता है, तो यह तब तक वैध होता है जब तक कि कानून के अनुसार इससे बचा नहीं जाता है। पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा प्रदत्त अधिकार पूरी दुनिया के खिलाफ पर्याप्त हैं और नाबालिग या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के कहने पर एक प्राकृतिक अभिभावक द्वारा बेची गई संपत्ति नाबालिग की होने की स्थिति में बिक्री से बचा जा सकता है। एक दस्तावेज़ जो अमान्य है, उसे वास्तव में अलग रखा जाना चाहिए।

पंजीकृत बिक्री विलेख से बचना। हालाँकि, न्यायालय को यह नहीं समझना चाहिए कि वह यह अभिनिर्धारित कर रहा है कि उन सभी मामलों में जहां नाबालिग को अचल संपत्ति के निपटान से बचना है, यह आवश्यक है कि सूट। अचल संपत्ति का प्रभार या पट्टा का निर्माण हो सकता है जो पंजीकृत दस्तावेज द्वारा नहीं हो सकता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर कर सकता है कि मुकदमा लाना आवश्यक है या नहीं।

अचल संपत्ति के निपटान से बचने के लिए या यह किया जा सकता है [2019] 4 एस. सी. आर.

हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधिनियमन के बाद संसद द्वारा। सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 60 जो "फरमानों और उपकरणों से संबंधित मुकदमों" की सीमा का प्रावधान करता है। सीमा अधिनियम एक वार्ड के संरक्षक द्वारा की गई संपत्ति के हस्तांतरण को अलग करने के लिए विचार करता है जिसके लिए सीमा को तीन साल के रूप में माना जाता है। अनुच्छेद 60 हालांकि सीमा अधिनियम एक मुकदमे की सीमा का प्रावधान करता है, लेकिन यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एक वार्ड के अभिभावक द्वारा की गई संपत्ति के हस्तांतरण को अलग करने के लिए एक मुकदमे पर विचार किया जाता है। [ पारस 28,29] [378-ई-एच; 379-ए]

1.6 1956 के अधिनियम की धारा 11 में नाबालिग के "वास्तविक अभिभावक" पर नाबालिग की संपत्ति का निपटान करने का वैधानिक निषेध है। इस प्रकार, वास्तविक अभिभावक द्वारा किया गया स्थानांतरण अमान्य है और इसे किसी भी तरह से अस्वीकार किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यह नाबालिग या किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है जो इसके तहत दावा करता है

उसे एक शून्य विलेख को अलग रखने के लिए मुकदमा दायर करने के लिए। एक शून्य विलेख को नजरअंदाज किया जा सकता है। [ पैरा 31] [379-जी]

1.7 वर्तमान मामले में नाबालिग की ओर से बिक्री विलेख का कोई खंडन नहीं किया गया है, अमान्य बिक्री का सवाल

विलेख शून्य नहीं होता है। वर्तमान मामले में नाबालिग के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के लिए 'बी' द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को अलग करने के लिए नाबालिग की मृत्यु की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर कार्रवाई करना आवश्यक था। 'बी' द्वारा निष्पादित बिक्री विलेखों को कानून द्वारा निर्धारित सीमा अवधि के भीतर अस्वीकार या टाला नहीं गया था। [ पारस 34,35] [382-बी, सी]

मधुर विश्वनाथ बनाम। माधव और अन्य (1999) 9 एस. सी. सी. 446; नारायण बनाम। बाबासाहेब और अन्य (2016) 6 एस. सी. सी. 725: [ 2016 ] 2 एस. सी. आर. 948; नंगली अम्मा भवानी अम्मा बनाम। गोपालकृष्णन नायर और अन्य (2004) 8 एस. सी. सी. 785; गोरखनाथ दुबे बनाम। हरि नारायण सिंह और

अन्य (1973) 2 एस. सी. सी. 535: [ 1974 ] 1 एससीआर 339-निर्भर

पर।

धुरंधर प्रसाद सिंह बनाम। जय प्रकाश विश्वविद्यालय

और अन्य (2001) 6 एस. सी. सी. 534: [ 2001 ] 3 एस. सी. आर. 1129; विश्वंभर और अन्य बनाम। लक्ष्मीनारायण (मृत)

एलआर के माध्यम से। और एक और (2001) 6 एस. सी. सी. 163; एल. आर. द्वारा माधेगौड़ा (मृत)। वी. मुरुगन और ओआरएस द्वारा अंकेगौड़ा (मृत)।

वी. केसेवा गौंडर (मृत) टीएचआर। एल.

एल. आर. और अन्य (2002) 1 एस. सी. सी. 178 [2001] 5 पूरक।

एस. सी. आर. 290; अमिरथम कुदुम्बह बनाम। सरनाम कुदुम्बन

( 1991 ) 3 एससीसी 20: [ 1991 ] 2 एससीआर 389; माधेगौड़ा

( मृत) एलआर द्वारा। वी. एल. आर. द्वारा अंकेगौड़ा (मृत)। और

अन्य (2002) 1 एस. सी. सी. 178 [2001] 5 पूरक। एससीआर 290;

जी. अन्नामलाई पिल्लई बनाम जिला राजस्व अधिकारी और

अन्य (1993) 2 एससीसी 402 [1993] 2 एससीआर 397 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

( 1999 ) 9 एस. सी. सी. 446

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

[ 2016 ] 2 एससीआर 948

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

[ 2001 ] 3 एससीआर 1129

पै

रा 16

संदर्भित किया गया है

( 2001 ) 6 एससीसी 163

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[ 2001 ] 5 पूरक। एससीआर 290

पै

रा 18

संदर्भित किया गया है

( 2004 ) 8 एस. सी. सी. 785

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

[ 1974 ] 1 एससीआर 339

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

[ 1991 ] 2 एससीआर 389

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

[ 2001 ] 5 पूरक। एससीआर 290

पै

रा 30

संदर्भित किया गया है

[ 1993 ] 2 एससीआर 397

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1

2019 का

के 21.04.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2000 के एस. ए. सं. 644 में मद्रास में न्यायिक न्यायालय।

वी. प्रभाकर, सुश्री ज्योति पराशर, एन. जे. रामचन

आर. चंद्रचूड, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता। , बी. रघुनाथ, श्रीमती एन. सी. कवि

सी. डी. सिंह, विजय कुमार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्टन्यायालय का निर्णय दिया गया था

हॉक भूषण, जे. 1. यह वादी की अपील है।

मद्रास उच्च न्यायालय का वादी-अपीलार्थियों द्वारा दूसरे 1 को खारिज करने वाला निर्णय।

मामले के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:

सूट की संपत्ति एक पेठा गौंडर की है। पेठा

गौंडर के दो बेटे थे जिनके नाम कन्नन और बलरामन थे।

तीन बेटियाँ। सेंगनी अम्मल पेठा की पत्नी थीं।

गौंडर। आई. डी. 1 पर पेठा गौंडर ने अपने बेटों कन्नन और बलरामन को और उसके बाद अपने दोनों बेटों के दो पुरुष उत्तराधिकारियों को वसीयत जीवन ब्याज दिया, जिन्हें संपत्ति को पूरी तरह से लेना था। आगे भी करेंगे। यह निर्धारित किया गया कि यदि उसके एक बेटे का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो दूसरे बेटे का पुरुष उत्तराधिकारी संपत्ति ले लेगा। पेठा गौंडर की मृत्यु 28.11.1971 पर हो गई और वे अपने पीछे पत्नी, दो लोगों को छोड़ गए।

बेटे बलरामन और कन्नन और तीन बेटियाँ। पेठा गौंडर की पत्नी सेनगनी अम्मल की मृत्यु 02.02.1982 पर हुई। बलरामन का एक पुत्र था जिसका नाम पलानीवेल था।

पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांकित 15.12.1981। बलरामन ने पहले प्रतिवादी के पक्ष में वस्तु संख्या 6 और वस्तु संख्या 7 के एक हिस्से को दो बिक्री विलेखों दिनांक 30.03.1981 और 31.03.1981 द्वारा बेच दिया। बलरामन ने दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में वस्तु संख्या 6 को पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 29.03.1982 द्वारा बेच दिया था। बलरामन की मृत्यु 1983 में हुई और कन्नन की मृत्यु 02.12.1984 पर हुई। बलरामन की पत्नी लक्ष्मी थीं। वादी कन्नन के पुत्र हैं। बलरामन के पुत्र पलानीवेल की मृत्यु 11.02.1986 पर तब हुई जब वह नाबालिग था। पलानीवेल की माँ लक्ष्मी अम्मल ने विचार के लिए वादी के पक्ष में 24.03.1986 दिनांकित एक पंजीकृत रिहाई विलेख निष्पादित किया। वादी ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए 1992 का मुकदमा No.229 दायर किया:

" VI. इसलिए वादी प्रार्थना करते हैं कि माननीय न्यायालय

यह प्रसन्न हो सकता है: ( क) घोषणा करें कि वादी मुकदमे के हकदार हैं।

गुण; एन एंड ओआरएस।

वी. केसेवा गौंडर (मृत) टीएचआर। एलआरएस।

[ अशोक भूषण, जे।]

( ख) प्रतिवादियों को मुकदमे की संपत्तियों का कब्जा देने का निर्देश दें, जिसमें विफल रहने पर

अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकार;

( ग) प्रतिवादियों को मुकदमे की लागत का भुगतान करने का निर्देश दें।

और

( घ) ऐसी अन्य राहतें प्रदान करें जो माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

शिकायत में वादी का मामला था कि बलरामन को अपने नाबालिग बेटे पलानीवेल की ओर से बिक्री विलेख निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था और बलरामन द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख अमान्य थे। कन्नन के पुत्र होने के नाते वादी संपत्ति की घोषणा और कब्जे के हकदार हैं।

अभियुक्त। यह भी अनुरोध किया गया कि 17.05.1971 की वसीयत की वैधता को अधीनस्थ न्यायाधीशों द्वारा बरकरार रखा गया है

1973 के ओ. एस. सं. 447 में न्यायालय, कुड्डालोर।

प्रतिवादी ने लिखित बयान दायर किया। प्रतिवादी का मामला यह था कि बलरामन ने अपने ऋणों का भुगतान करने और पारिवारिक आवश्यकता के लिए 15.12.1981 पर अपने लिए और अपने नाबालिग बेटे की ओर से बिक्री विलेख निष्पादित किया। बिक्री विलेख नाबालिग पलानीवेल को बांधता है। लक्ष्मी अम्मल द्वारा 24.03.1986 पर निष्पादित रिहाई विलेख वादी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है क्योंकि मुकदमा पलानीवेल की मृत्यु की तारीख से 3 साल के भीतर दायर नहीं किया गया है अर्थात 11.02.1986। सूट के रूप में फ्रेम नहीं है

बनाए रखने योग्य। अभियुक्त अवैध कब्जे में नहीं हैं।

प्रतिवादी मूल्य के लिए वास्तविक खरीदार हैं। वादी बिक्री विलेख को अलग रखने के लिए प्रार्थना किए बिना घोषणा के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं।

निचली अदालत ने दस मुद्दे तैयार किए। मुद्दा संख्या 7 यह था कि "क्या मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है?" . मुद्दा संख्या 8 यह था कि "क्या वादी मुकदमे की संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व की घोषणा की मांग करने के हकदार हैं?" . अंक संख्या 9 यह था कि "क्या

वादी को कब्जे की वसूली की मांग करने का अधिकार है? . निचली अदालत ने मुद्दा संख्या 7 का फैसला करते हुए कहा कि मुकदमा है -

सीमा द्वारा वर्जित नहीं। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी

प्रत्यावर्तक के रूप में मुकदमा दायर किया गया, सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65 लागू होगा। अनुच्छेद 65 के अनुसार, सीमा की अवधि 12 वर्ष है, इसलिए मुकदमा समय के भीतर था।

एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

17.05.1971 एक वैध वसीयत मानी गई थी। बिक्री विलेख

बलरामन द्वारा निष्पादित कार्य अमान्य हैं। रिहाई विलेख पर,

निचली अदालत ने फैसला सुनाया कि लक्ष्मी अम्मल का मुकदमे की संपत्तियों में कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वादी को कोई नया अधिकार प्राप्त नहीं है।

रिलीज की सच्चाई और वैधता तय करने के लिए आवश्यक दिनांकित विलेख 24.03.1986। निचली अदालत ने आगे कहा कि वहाँ

बिक्री विलेखों को अलग रखने के लिए अनुरोध करने के लिए मुकदमा दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे बिक्री विलेख अमान्य हैं और उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि वादी प्रतिवादियों से अधिकार की वसूली करने में सक्षम हैं। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले और डिक्री दिनांक 13.08.1997 को देखा

सूट का फैसला किया।

निचली अदालत के फैसले से व्यथित प्रतिवादियों ने अपील दायर की। प्रधान जिला न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया

दिनांक 31.08.1999 ने मुकदमे को खारिज करते हुए अपील की अनुमति दी। अपीलीय अदालत ने कहा कि चूंकि पलानीवेल की मृत्यु आईडी1 पर हुई थी, इसलिए उनकी मृत्यु के 3 साल के भीतर बिक्री विलेखों और कब्जे को अलग करने के लिए मुकदमा दायर किया जाना चाहिए था। सूट।

1992 में दायर की गई याचिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अपीलीय न्यायालय सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 60 पर भरोसा किया। इसके खिलाफ नाराज़गी

प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय पर, वादी ने उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने अपने

21.04.2010 दिनांकित निर्णय ने दूसरी अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद तैयार किया था -

विचार के लिए कानूनः

" i) क्या विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायाधीश सही है।

Exs. ए-9-बी-9, ए-10 = बी-7, ए-11 = बी-2 और ए-12 = बी-9, प्राकृतिक संरक्षक स्वर्गीय बलरामन द्वारा निष्पादित, संपत्ति मृतक नाबालिग पलानीवेल की है?

(ii) क्या स्वर्गीय बलरामन द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख,

नाबालिग पलानीवेल का प्राकृतिक संरक्षक, संपत्तियों का

नाबालिक का कानून में वैध होता है जब उक्त बिक्री विलेख धारा 8 (2) (ए) के घोर उल्लंघन में निष्पादित किया गया था

हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, विशेष रूप से मुरुगन और ओआरएस।

वी. केसेवा गौंडर (मृत) टीएचआर। एलआरएस। [ अशोक भूषण, जे।]

जब माँ, जिसने नाबालिग के तहत दावा किया था, नाबालिग की मृत्यु पर तुरंत बिक्री से बच गई?

iii) क्या प्रथम अपीलीय न्यायाधीश का यह अभिनिर्णय सही है कि मुकदमा विचारणीय नहीं है, क्योंकि नाबालिग पलानीवेल की मृत्यु की तारीख से तीन साल के भीतर बिक्री को अलग करने के लिए मुकदमा दायर नहीं किया गया था?

2.7

उच्च न्यायालय ने माना कि बलरामन द्वारा किया गया अलगाव

इसे केवल एक अमान्य अलगाव के रूप में माना जा सकता है और अलगाव को शून्य नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी का मुकदमा सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 60 के अनुसार 3 वर्षों के भीतर दायर किया जाना चाहिए था। कानून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय प्रतिवादियों-प्रतिवादियों के पक्ष में किया गया था। उच्च न्यायालय ने दूसरी याचिका खारिज कर दी। फैसले के खिलाफ यह अपील दायर की गई है।

3. श्री वी. प्रभाकर, समर्थन में अपीलार्थियों के विद्वान वकील

अपील में तर्क दिया गया है कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 60 लागू नहीं होगा और मुकदमे को निचली अदालत द्वारा अनुच्छेद 65 द्वारा शासित माना गया था, जो समय के भीतर था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नाबालिग की ओर से कार्रवाई को अस्वीकार करने का विकल्प नाबालिग की मां द्वारा प्रयोग किया गया है, बलरामन द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख अपनी स्थापना से ही अमान्य हो जाता है। बलरामन द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख अदालत की अनुमति के बिना थे और कानूनी आवश्यकता के बिना थे, इसलिए उनकी माँ लक्ष्मी अम्मल द्वारा उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। लक्ष्मी अम्मल द्वारा अलगाव को अस्वीकार करने के बल पर, बिक्री विलेख अमान्य हो जाते हैं और बिक्री विलेखों को अलग करने के लिए प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और घोषणा और कब्जे के लिए मुकदमा पूरी तरह से बनाए रखने योग्य था।

अनुच्छेद 60 केवल तभी लागू होता जब बिक्री विलेखों को अलग करने के लिए मुकदमा दायर किया जाता।

4. सुश्री वी. मोहना, की ओर से पेश वरिष्ठ वकील

अपीलार्थियों के वकील की दलीलों का खंडन करते हुए उत्तरदाताओं का तर्क है कि मुकदमा स्पष्ट रूप से समय द्वारा वर्जित था, क्योंकि यह नाबालिग की मृत्यु की तारीख से 3 साल के भीतर दायर नहीं किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 24.03.1986 दिनांकित विमोचन विलेख को बिक्री विलेखों के खंडन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिक्री विलेखों को अलग करने के लिए प्रार्थना किए बिना, वादी द्वारा कब्जे के फरमान का दावा नहीं किया जा सकता था। सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 60 द्वारा सीमा को नियंत्रित किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. पक्षों के विद्वान वकीलों ने विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है, जिन्हें इस पर विचार करते समय संदर्भित और विचार किया जाएगा।

विस्तार से प्रस्तुतियाँ।

6. पक्षकारसभक लेल विद्वान वकीलक प्रस्तुतिकरण आ अभिलेख पर अभिवचनसँ निम्नलिखित मुद्दा अछि जे एहि अपीलमे विचार करबाक लेल उत्पन्न होइत अछि।

( i) क्या वादी-अपीलार्थियों द्वारा दायर वाद पर रोक लगा दी गई थी।

सीमा से?

( (ii) चाहे बलरामन द्वारा निष्पादित बिक्री विलेखों को अलग करने के लिए प्रार्थना किए बिना, घोषणा के लिए मुकदमा और

कब्ज़ा बनाए रखने योग्य था?

( iii) क्या वादी सफलतापूर्वक यह तर्क दे सकते हैं कि लक्ष्मी अम्मल द्वारा दिनांकित 24.03.1986 के विमोचन विलेख के निष्पादन द्वारा, बलरामन द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख सफलतापूर्वक किए गए थे।

अस्वीकृत?

मुद्दा संख्या 1

7. निचली अदालत ने माना है कि मुकदमा अनुच्छेद 65 पर भरोसा करते हुए समय के भीतर दायर किया गया है, जबकि अपीलीय अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी

न्यायालय ने अनुच्छेद 60 पर भरोसा किया और अभिनिर्धारित किया कि मुकदमा समय द्वारा वर्जित था। सीमा अधिनियम के भाग IV, जो "फरमानों और उपकरणों" से संबंधित मुकदमों से संबंधित है, में अनुच्छेद 59 और 60 शामिल हैं। अनुच्छेद 60 इस प्रकार हैः

सूट का विवरण

की अवधि

जिस समय से

सीमा

अवधि शुरू होती

है

60 एक स्थानांतरण को अलग रखने के लिए

द्वारा बनाई गई संपत्ति

एक वार्ड का संरक्षक

( क) वार्ड द्वारा जो

बहुमत प्राप्त कर लिया है।

जब वार्ड बहुमत प्राप्त

करता है।

तीन साल

( (b) वार्ड द्वारा कानूनी प्रतिनिधि

जब वार्ड बहुमत प्राप्त

करता है।

तीन साल

(i) जब वार्ड मर जाता है

तीन साल के भीतर प्राप्ति की तिथि

बहुमत।

(ii) जब वार्ड डी एस

तीन साल

जब वार्ड मर जाता है।

बहुमत प्राप्त करने से पहले। "

[ अशोक भूषण, जे।]

धारा 65 भाग 5 (अचल ए से संबंधित मुकदमे) में निहित है।

जो इस प्रकार हैः

अचल संपत्ति का स्वामित्व

बारह वर्ष जब का अधिकार

अभिदाय या उसमें कोई ब्याज

प्रतिवादी बन जाता है

वादी के प्रतिकूल।

शीर्षक पर एड। योजना बनाना। - उद्देश्यों के लिए

बी.

उनका लेख

( a) जहाँ सूट a द्वारा है

रिमेन्डरमैन,

ए

प्रतिवर्ती (ए के अलावा) मकान मालिक) या एक योजनाकार,

अधिकार

से

द.

सी.

प्रतिवादी

करेंगे।

बनो।

माना जाता है कि

प्रतिकूल केवल तभी जब

से

द.

रिमेन्डरमैन, प्रतिवर्ती या योजनाकार, के रूप में

मामला हो सकता है, इसमें आता है

डी.

स्वामित्व;

( ख) जहाँ सूट ए द्वारा है

हिंदू या मुसलमान हकदार हैं।

के लिए

का अधिकार

अचल संपत्ति

किसी हिंदू की मृत्यु या

ई.

महिला, द

मुसलमान

स्वामित्व पर

द.

से

प्रतिवादी

करेंगे।

बनो।

माना जाता है

बन जाता है

को

प्रतिकूल केवल तभी जब

महिला मर जाती है;

एफ.

( ग) जहाँ सूट ए द्वारा है

में एक बिक्री पर खरीदार

एक फरमान का निष्पादन जब निर्णय

जी.

कर्जदार बाहर था।

से

तारीख में अधिकार

बिक्री, खरीदार

माना जाएगा कि

प्रतिनिधि

न्याय-ऋणी जो था

कब्जे से बाहर "।

9. अनुच्छेद 60 (बी) (ii) एक मुकदमे को संदर्भित करता है जब एक वार्ड प्राप्त करने से पहले मर जाता है।

बहुमत। वर्तमान एक ऐसा मामला है जहाँ पलानीवेल की मृत्यु 11.02.1986 पर हुई थी।

बहुमत प्राप्त करने से पहले, उसकी जन्म तिथि 16.07.1978 होने के कारण, वार्ड के अभिभावक द्वारा बनाए गए उपकरण से बचने की सीमा वार्ड की मृत्यु के 3 साल बाद होती है जब वह बहुमत प्राप्त करने से पहले ही मर जाता है। इस न्यायालय को नाबालिग के वास्तविक अभिभावक द्वारा किए गए अलगाव के संदर्भ में सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 60 और 65 पर विचार करने का अवसर मिला था। मधुर विश्वनाथ बनाम माधव और अन्य के मामले में (1999) 9 एस. सी. सी. 446 , अपीलार्थी के मामा ने एक बिक्री विलेख निष्पादित किया है। अपीलार्थी ने 22.08.1966 पर मेजर होने के बाद 07.02.1973 पर एक मुकदमा दायर किया जिसमें प्रार्थना की गई कि हस्तांतरणकर्ताओं को संपत्ति का कब्जा देने की आवश्यकता है। अपीलार्थी की ओर से, अनुच्छेद 65 पर सीमा के उद्देश्यों के लिए भरोसा किया गया था। इस न्यायालय ने माना कि यह अनुच्छेद 60 है न कि अनुच्छेद 65, जो लागू होता है। फैसले के पैराग्राफ नंबर 4 और 5 प्रासंगिक हैं, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया हैः

664 .

XXXXXXXX

कि प्रतिवादी, बाबूराव माधोराव पुराणिक थे अपीलार्थी का वास्तविक संरक्षक स्थापित किया गया था और इसलिए,

उक्त संपत्ति का उसके द्वारा निपटान अमान्य था। शून्य होने के कारण, यह

अपीलार्थी के लिए उक्त के कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के लिए खुला था

संपत्ति और ऐसे मुकदमे के लिए सीमा की अवधि निर्धारित की गई थी अनुच्छेद 65 द्वारा।

. भले ही मुकदमे पर अनुरोध के अनुसार विचार किया गया हो,

5. .....

पहले के बिना कब्जे के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

यह पाते हुए कि अलगाव कानूनी आवश्यकता के लिए नहीं था और था,

इसलिए, कानून में बुरा। ऐसे मुकदमे के लिए अनुच्छेद 60 के प्रावधान

वार्ड के संरक्षक द्वारा उस वार्ड द्वारा बनाया गया जो प्राप्त कर चुका है बहुमत और निर्धारित अवधि तीन साल की है जो इस दिन से शुरू होती है

तिथि

जो

द.

हासिल करता है।

द.

वार्ड

पर

बहुमत।

10. नारायण बनाम बाबासाहेब और अन्य मामले में यह न्यायालय, (2016)

6 एस. सी. सी. 725 को फिर से सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 60 पर विचार करने का अवसर मिला। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नाबालिग द्वारा अपने अभिभावक द्वारा अपनी संपत्ति की बिक्री को रद्द करने का मुकदमा सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 60 द्वारा शासित होता है। पैराग्राफ संख्या में। 25 और 26, निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

मुरुगन और ओआरएस। वी. केसेवा गौंडर (मृत) टीएचआर। एलआरएस। [ अशोक भूषण, जे।]

" 25. अनुच्छेद 60 की भाषा के गहन विश्लेषण से संकेत मिलता है कि यह एक नाबालिग के मुकदमों पर लागू होता है जिसने बहुमत प्राप्त कर लिया है और उसके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा तब लागू होता है जब वह बहुमत प्राप्त करने के बाद या नाबालिग की मृत्यु से मर जाता है। मुक़दमे की प्रकृति का व्यापक दायरा संरक्षक द्वारा की गई अचल संपत्ति के हस्तांतरण को अलग करने के लिए है और इसके परिणामस्वरूप, इसके लिए एक मुक़दमा है -

1956 के अधिनियम की धारा 8 (2) का उल्लंघन करते हुए अभिभावक द्वारा हस्तांतरण से बचने के लिए कब्जा। संक्षेप में, यह हस्तांतरण को अलग रखने और इसके परिणामस्वरूप राहत देने के अलावा और कुछ नहीं है।

अधिकार।

26. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि नाबालिग द्वारा अपने अभिभावक द्वारा अपनी संपत्ति के हस्तांतरण को दरकिनार करने का मुकदमा अनुच्छेद 60 द्वारा शासित होता है। अभिभावक द्वारा अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर महाभियोग चलाने के लिए, नाबालिग को निर्धारित सीमा के भीतर मुकदमा दायर करना होगा।

बहुमत प्राप्त करने के बाद तीन साल की अवधि।

11. अब, अनुच्छेद 65 पर आते हैं, जिस पर अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा निर्भरता रखी गई है। सीमा की उक्त अवधि है यह तब उपलब्ध होता है जब स्वामित्व के आधार पर किसी भी ब्याज पर अचल संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया जाता है। वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां द्वारा दर्ज किया गया है

बिक्री विलेख संपत्ति नाबालिग के पिता द्वारा दी गई थी जो आर्थिक पक्ष था। इस प्रकार, जब बलरामन द्वारा बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था, तो उन्होंने नाबालिग के अधिकार को भी व्यक्त करने का इरादा किया था। बिक्री विलेख अमान्य होने और अमान्य नहीं होने के कारण, वादी अनुच्छेद 65 पर भरोसा नहीं कर सकते। इस प्रकार, हमारा विचार है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि वाद के लिए सीमा अनुच्छेद 60 द्वारा शासित थी और वाद स्पष्ट रूप से समय द्वारा वर्जित था।

12. बिक्री विलेख से यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि क्या बताया गया था। यह हम कहते हैं, जैसा कि अपीलार्थी का एक मामला है कि नाबालिग के पिता थे एक जीवन संपदा दी गई और केवल उसकी मृत्यु के बाद नाबालिग को अधिकार मिलना था। इस संबंध में हम एक निहित अधिकार और एक आकस्मिक अधिकार के बीच अंतर देख सकते हैं। निहित अधिकार धारा 19 का विषय है

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम जबकि एक आकस्मिक ब्याज से निपटा जाता है

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 21। चूंकि जीवन संपदा के बाद एक पूर्ण अधिकार एक वसीयत द्वारा बनाया जाता है, इसलिए प्रासंगिक प्रावधान भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 119 है। धारा 119 इस प्रकार हैः

" 119. भुगतान या कब्जा करते समय विरासत को सौंपने की तिथि

स्पष्टीकरण। यह इरादा कि किसी व्यक्ति की विरासत उसके ब्याज में निहित नहीं होगी, केवल उस प्रावधान से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जिसके तहत वसीयत की गई चीज़ का भुगतान या कब्जा स्थगित कर दिया जाता है, या जिसके तहत उसमें पूर्व ब्याज दिया जाता है। किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत की गई, या जिसके द्वारा वसीयत की गई निधि से उत्पन्न आय को भुगतान का समय आने तक जमा करने का निर्देश दिया जाता है, या इस प्रावधान से कि यदि कोई विशेष घटना होती है, तो विरासत किसी अन्य व्यक्ति को दी जाएगी।

हम चित्रण संख्या (iii) पर ध्यान देते हैं जो इस प्रकार हैः

" ( iii) एक निधि ए को जीवन भर के लिए वसीयत की जाती है, और उसकी मृत्यु के बाद बी को वसीयतकर्ता की मृत्यु पर बी की विरासत ब्याज में निहित हो जाती है।

बी में "।

इसलिए, पलानीवेल के पक्ष में विरासत में दिया गया पूर्ण अधिकार बन गया

पेठा गौंडर की मृत्यु के बाद।

मुद्दा संख्या 2

13. वर्तमान मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि बिक्री विलेख निष्पादित किए गए हैं

अलारमन को उनकी और उनके नाबालिग बेटे पलानीवेल की ओर से अदालत की अनुमति प्राप्त किए बिना मामला दर्ज किया गया था। अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8, जो प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः

नाबालिग का लाभ या प्राप्ति, संरक्षण या लाभ के लिए नाबालिग की संपत्ति का; लेकिन अभिभावक किसी भी मामले में बाध्य नहीं कर सकता है

एक व्यक्तिगत वाचा द्वारा नाबालिग। ( 2 ) प्राकृतिक संरक्षक पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा।

अदालत, आरयूजीएएन एंड ओआरएस।

वी. केसेवा गौंडर (मृत) टीएचआर। एलआरएस। [ अशोक भूषण, जे।]

( क) बंधक या शुल्क, या बिक्री, उपहार, विनिमय या अन्यथा नाबालिग की अचल संपत्ति के किसी भी हिस्से द्वारा हस्तांतरण या

( बी) ऐसी संपत्ति के किसी भी हिस्से को पांच साल से अधिक की अवधि के लिए या एक साल से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर देना।

जिस तारीख को नाबालिग बहुमत प्राप्त करेगा।

( 3 ) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उल्लंघन में किसी प्राकृतिक अभिभावक द्वारा अचल संपत्ति का कोई भी निपटान नाबालिग या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के कहने पर अमान्य है। ( 4 ) कोई भी अदालत प्राकृतिक अभिभावक को उप-धारा (2) में उल्लिखित किसी भी कार्य को करने की अनुमति नहीं देगी, सिवाय आवश्यकता के मामले में या नाबालिग के लिए एक स्पष्ट लाभ के लिए।

( 5 ) संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 (1890 का 8), की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पर और उसके संबंध में लागू होगा

उप-धारा (2) के तहत अदालत सभी मामलों में जैसे कि यह उस अधिनियम की धारा 29 के तहत अदालत की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन था, और विशेष रूप से

( क) आवेदन के संबंध में कार्यवाही मानी जाएगी।

उस अधिनियम की धारा 4 क के अर्थ के भीतर उस अधिनियम के तहत कार्यवाही होनी चाहिए।

( ख) न्यायालय प्रक्रिया का पालन करेगा और उसके पास उसकी धारा 31 की उप-धारा (2), (3) और (4) में निर्दिष्ट शक्तियां होंगी।

अधिनियम; और

( ग) एक अपील अदालत के इनकार करने के आदेश से होगी।

प्राकृतिक संरक्षक को कोई भी कार्य करने की अनुमति

इस धारा की उप-धारा (2) में उस न्यायालय का उल्लेख किया गया है जिसके खिलाफ अपील आमतौर पर उस न्यायालय के निर्णयों से होती है।

( 6 ) इस धारा में, "न्यायालय" का अर्थ है नगर सिविल न्यायालय या जिला न्यायालय या अभिभावक की धारा 4 ए के तहत सशक्त न्यायालय।

और वार्ड अधिनियम, 1890 (1890 का 8), जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर अचल संपत्ति, जिसके संबंध में - आवेदन किया जाता है और जहां अचल संपत्ति एक से अधिक ऐसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, उसका अर्थ है वह न्यायालय जिसका कोई भी हिस्सा स्थानीय सीमाओं के भीतर है।

संपत्ति की स्थिति है। "[2019] 4 एस. सी. आर.

14. इस न्यायालय ने बार-बार धारा 8 और धारा 8 (2) के उल्लंघन में प्राकृतिक अभिभावक द्वारा अलगाव के मामलों पर विचार किया है। 1956 एक्ट करें। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 8 (1) और 8 (2) का उल्लंघन करने वाला बिक्री विलेख एक अमान्य बिक्री विलेख है। वायडेबल को ब्लैक लॉ डिक्शनरी, दसवें संस्करण में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" रद्द होने तक वैध; विशेष रूप से। , ( एक अनुबंध का) पक्षकारों में से किसी एक के विकल्प पर पुष्टि या अस्वीकार किए जाने में सक्षम। यह शब्द एक वैध कार्य का वर्णन करता है जिसे एक अमान्य कार्य के बजाय रद्द किया जा सकता है जो हो सकता है

पुष्टि की जाए "।

15. न्यायशास्त्र पर सैल्मंड्स, बारहवें संस्करण ने निम्नलिखित अंश में वैध, शून्य और शून्य के बीच के अंतर को देखा हैः

" ... एक वैध समझौता वह है जो पक्षों के इरादे के अनुसार पूरी तरह से संचालित होता है। एक शून्य समझौता वह है जो कानूनी मान्यता या मंजूरी प्राप्त करने में पूरी तरह से विफल रहता है, पार्टियों की घोषित इच्छा पूरी तरह से कानूनी प्रभावकारिता से वंचित है। इन दोनों मामलों के बीच एक अमान्य समझौता है। यह एक शून्य नहीं है, लेकिन इसका संचालन सशर्त है और निरपेक्ष नहीं है। इसके मूल में किसी दोष के कारण इसे किसी एक पक्ष के विकल्प पर नष्ट या रद्द किया जा सकता है। इस शक्ति के प्रयोग पर समझौते की न केवल कोई प्रभावकारिता समाप्त हो जाती है, बल्कि इसे शुरू से ही अमान्य माना जाता है। इससे बचना इसे बनाने से संबंधित है। काल्पनिक या आकस्मिक प्रभावकारिता, जिसे अब तक इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, पूरी तरह से गायब हो जाती है, जैसे कि यह कभी मौजूद नहीं थी। दूसरे शब्दों में, एक अमान्य समझौता एक है जो
इसके किसी एक दल के चुनाव में अमान्य या वैध है।

16. धुरंधर प्रसाद सिंह बनाम जय प्रकाश मामले में यह अदालत

विश्वविद्यालय और अन्य, (2001) 6 एस. सी. सी. 534 ने इस अंतर को नोट किया था।

शून्य और शून्य के बीच। पैराग्राफ नंबर 22 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 22. इस प्रकार "शून्य और अमान्य" अभिव्यक्तियाँ अदालतों द्वारा असंख्य अवसरों पर विचार का विषय रही हैं। "शून्य" अभिव्यक्ति के कई पहलू हैं। एक प्रकार के शून्य कार्य, लेन-देन, फरमान वे हैं जो पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना हैं, शुरुआत से ही शून्य हैं और उनसे बचने के लिए कोई घोषणा आवश्यक नहीं है, कानून इसका कोई ध्यान नहीं देता है और संपार्श्विक कार्यवाही में या अन्यथा इसकी अवहेलना की जा सकती है। दूसरे ने

शून्य अधिनियम का प्रकार, उदाहरण के लिए, बिना मुरुगन और ओ. आर. एस. के नाबालिग के खिलाफ लेनदेन हो सकता है।

वी. केसेवा गौंडर (मृत) टीएचआर। एलआरएस। [ अशोक भूषण, जे।]

एक अगले दोस्त द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। इस तरह का लेन-देन अच्छा है।

पूरी दुनिया के खिलाफ लेनदेन। जहाँ तक नाबालिग है

चिंतित है, अगर वह इससे बचने का फैसला करता है और बचने में सफल होता है

लेन-देन की उचित कार्यवाही का सहारा लेकर शुरू से ही शून्य हो जाता है। एक अन्य प्रकार का शून्य अधिनियम

ऐसा हो सकता है जो एक शून्य नहीं है लेकिन उसी से बचने के लिए एक घोषणा है करना पड़ता है। वर्जित कार्य वह है जो एक अच्छा कार्य है जब तक कि

टाल दिया जाता है, उदाहरण के लिए, यदि एक मुकदमा एक घोषणा के लिए दायर किया जाता है कि एक दस्तावेज़ है

धोखाधड़ी और/या जाली और मनगढ़ंत, यह अमान्य है

प्रत्यक्ष स्थिति वास्तविक स्थिति और एक पक्ष है।

दस्तावेज़ जाली और मनगढ़ंत है और उस प्रभाव की घोषणा है दिया जाता है, एक लेनदेन शुरू से ही शून्य हो जाता है।

एक अमान्य लेनदेन हो सकता है जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है

इसे अलग रखे बिना नहीं लिया जा सकता है, यह नहीं हो सकता है शून्य माना जाता है लेकिन स्पष्ट रूप से अमान्य होगा। "

17. विश्वंभर और अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण (मृत)

एलआर के माध्यम से। और एक अन्य, (2001) 6 एस. सी. सी. 163, जो अदालत की मंजूरी के बिना और कानूनी आवश्यकता के बिना अलगाव को चुनौती देने का मामला था, इस अदालत ने माना कि प्राकृतिक अभिभावक द्वारा अलगाव था

शून्य योग्य। उपरोक्त मामले में, दो नाबालिगों की स्वाभाविक अभिभावक माँ ने वयस्क होने से पहले ही बिक्री विलेख को निष्पादित कर दिया है। नाबालिगों ने बहुमत प्राप्त करने के बाद यह दलील देते हुए मुकदमा दायर किया था कि बिक्री विलेख वादी के कानूनी अधिकारों पर बाध्यकारी और प्रभावी नहीं हैं, और प्रार्थना की थी कि उक्त बिक्री विलेखों को उनके हिस्से की सीमा तक अलग रखा जाए और भूमि के कब्जे के लिए मुकदमे का फैसला किया जाए। उपरोक्त मामले में, धारा 8 पर विचार करने के बाद इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी के कहने पर बिक्री विलेख अमान्य थे। इस न्यायालय ने आगे कहा कि यदि वादी को मुकदमे के संबंध में कोई भी दावा करने से पहले बिक्री विलेखों को अलग रखने की आवश्यकता थी

तब बेची गई संपत्तियों को इस तरह की प्रार्थना के बिना एक मुकदमा वादी के लिए कोई लाभ नहीं था। पैराग्राफ नंबर 9 में निम्नलिखित बात कही गई थीः

सवाल यह है कि

" 9 .

परिस्थितियों में, क्या अलगाव शून्य या शून्य हैं? खंड में

8 ( 2 ) हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 नीचे, अन्य बातों के साथ-साथ, कि प्राकृतिक संरक्षक पूर्व के बिना नहीं होगा

अदालत की अनुमति, अचल [2019] 4 एस. सी. आर. के किसी भी हिस्से को बिक्री द्वारा हस्तांतरण।

नाबालिग की संपत्ति। उक्त धारा की उप-धारा (3) में, यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि अचल संपत्ति का कोई भी निपटान

मुकदमे की सुनवाई के दौरान संशोधन द्वारा पेश किया गया और निचली अदालत ने संशोधित अनुरोध पर विचार किया और उसी आधार पर मुकदमे का फैसला किया। यदि कानून में वादी को संपत्तियों के संबंध में कोई भी दावा करने से पहले बिक्री विलेखों को अलग रखने की आवश्यकता थी बेच दिया, फिर इस तरह की प्रार्थना के बिना एक मुकदमा वादी के लिए कोई फायदा नहीं था। सभी संभावनाओं में, इस कठिनाई को महसूस करते हुए वादी ने बिक्री विलेखों को अलग करने के लिए प्रार्थना पेश करने की मांग करते हुए शिकायत के संशोधन के लिए आवेदन दायर किया। दुर्भाग्य से, एहसास बहुत देर से हुआ। स्वीकार करते हुए, वादी 2 दिगंबर ने 5-8-1975 पर बहुमत प्राप्त किया और वादी 1, विश्वंभर ने 20-7-1978 पर बहुमत प्राप्त किया। हालाँकि मुकदमा 30-11-1980 पर दायर किया गया था, लेकिन बिक्री विलेखों को अलग करने की प्रार्थना दिसंबर 1985 में की गई थी। सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 60 निर्धारित करता है कि

वार्ड के संरक्षक द्वारा की गई संपत्ति के हस्तांतरण को अलग करने के लिए तीन साल की अवधि, वार्ड द्वारा जो बहुमत प्राप्त कर चुका है और अवधि की गणना उस तारीख से की जानी है जब वार्ड बहुमत प्राप्त करता है। चूंकि सीमा उन तारीखों से शुरू हो गई थी जब वादी ने बहुमत प्राप्त किया था, इसलिए जहां तक दिगंबर का संबंध है, निर्धारित अवधि वाद प्रस्तुत करने की तारीख तक बीत चुकी थी। इसलिए, निचली अदालत ने दिगंबर द्वारा दायर मुकदमे को सही ढंग से खारिज कर दिया। मुकदमे को खारिज करने वाले निचली अदालत के फैसले को उनके द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। यह मानते हुए भी कि वादी में से एक द्वारा दायर किया गया मुकदमा समय के भीतर था, पूरा मुकदमा कर सकता था

सीमा के आधार पर खारिज नहीं किया जाता है, दिगंबर द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करने के खिलाफ चुनौती के अभाव में पहला अपीलीय न्यायालय निचली अदालत के फैसले के उस हिस्से में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। विश्वंभर द्वारा दायर मुकदमे के संबंध में, यह सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर दायर किया गया था, लेकिन मुरुगन और ओआरएस के बिना।

वी. केसेवा गौंडर (मृत) टीएचआर। एलआरएस।

[ अशोक भूषण, जे।]

बिक्री विलेखों को अलग रखने के लिए प्रार्थना। जिसके लिए दावा किया गया है

अलग की गई संपत्तियों के कब्जे की वसूली नहीं हो सकती थी शुरू में बिक्री विलेख को अलग रखे बिना किया गया था

दाखिल किया गया रखरखाव योग्य नहीं था। जिस तारीख तक दोष ठीक हो गया था

( दिसंबर 1985) के संशोधन द्वारा ऐसी प्रार्थना शुरू करके इस तरह की मांग के लिए सीमा की निर्धारित अवधि की शिकायत

राहत मिल गई थी। इन परिस्थितियों में, संशोधन

शिकायत वादी के बचाव में नहीं आ सकी। ”

18. इसी प्रभाव के लिए इस न्यायालय का निर्णय है

एलआर द्वारा माधेगौड़ा (मृत)। बनाम अंकेगौड़ा (मृत) एल. आर. द्वारा। और अन्य, (2002) 1 एस. सी. सी. 178, जहाँ पैरा सं. 25 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैः

नाबालिग, बहुमत प्राप्त करने पर, कर सकता है

" 25 .....

स्थानांतरण को किसी भी तरह से और जब भी अवसर मिले अस्वीकार करें।

उठती है। बहुमत प्राप्त करने के बाद यदि वह अपना ब्याज हस्तांतरित करता है

एक वैध तरीके से संपत्ति में अपनी उपाधि का दावा करते हुए वही जो यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि नाबालिग ने अस्वीकार कर दिया है

"वास्तविक संरक्षक/प्रबंधक" द्वारा किया गया स्थानांतरण।

19. यह न्यायालय आगे नांगली अम्मा भवानी अम्मा में आयोजित किया गया

बनाम गोपालकृष्णन नायर और अन्य, (2004) 8 एस. सी. सी. 785 ने कहा कि धारा 8 (2) का उल्लंघन करते हुए किया गया अलगाव अमान्य है, इसे अमान्य ठहराना न केवल क़ानून के सादे शब्दों के विपरीत होगा, बल्कि नाबालिग को बहुमत प्राप्त करने पर लेन-देन की पुष्टि या अनुसमर्थन के अधिकार से भी वंचित कर देगा। पैराग्राफ नंबर 8 में निम्नलिखित बात कही गई थीः

" 8. प्रयुक्त अभिव्यक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक संरक्षक द्वारा उल्लंघन में किया गया लेन-देन

उप-धारा (2) की धारा शून्य नहीं थी, बल्कि इस मामले में केवल शून्य थी। नाबालिग का। यह अभिनिर्धारित करना कि लेन-देन धारा का उल्लंघन करता है

8 ( 2 ) शून्य है न केवल के सादे शब्दों के विपरीत होगा कानून लेकिन नाबालिग को पुष्टि करने के अधिकार से भी वंचित कर देगा या

प्राप्त करना

लेन-देन

पुष्टि करें

द.

उस पर

बहुमत।

99

20. अलगाव, जो शून्य थे, मामूली के उदाहरण पर

या वादी द्वारा कब्जे के लिए राहत का दावा करने से पहले उसकी ओर से अलग रखने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, बिक्री विलेखों को अलग करने के लिए प्रार्थना किए बिना वादी की ओर से दायर किया गया मुकदमा ठीक से तैयार नहीं किया गया था और इसका फैसला नहीं किया जा सकता था।

9 ] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुद्दा संख्या 3

21. सवाल यह है कि क्या वादी के पक्ष में दिनांकित 24.03.1986 रिहाई विलेख के निष्पादन से, बलरामन द्वारा किए गए अलगाव का खंडन किया गया था। विमोचन विलेख को अनुबंध पी-1 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है। रिहाई विलेख के अवलोकन से यह संकेत नहीं मिलता है कि बलरामन द्वारा प्रतिवादियों के पक्ष में अलगाव का कोई संदर्भ दिया गया है। नाबालिग की ओर से बलरामन द्वारा किए गए अलगाव का कोई संदर्भ नहीं होने के कारण, नाबालिग की ओर से दावे के खंडन के रूप में रिहाई विलेख को पढ़ने का कोई अवसर नहीं है। धारा 8 (3) नाबालिग या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकार देती है, धारा 8 (3) में प्रासंगिक शब्द "नाबालिग या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के कहने पर" हैं। इस प्रकार, की ओर से किया गया अलगाव

नाबालिग या उसके अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति नाबालिग से बच सकता है। में।

यदि नाबालिग की बहुमत प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो जाहिर है, उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को अलगाव से बचने का अधिकार होगा।

22. के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया निवेदन

प्रत्यर्थियों का कहना है कि धारा 8 की उप-धारा (3) के तहत विचार किए गए नाबालिग की अचल संपत्ति की बिक्री से बचने के लिए, नाबालिग या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक कार्रवाई करनी होगी यानी निर्धारित सीमा के भीतर मुकदमा दायर करना होगा।

23. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुतिकरण का खंडन किया है और तर्क दिया है कि एक द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री से बचना नाबालिग किसी भी तरह से हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नाबालिग या उसकी ओर से दावा करने वाले व्यक्ति के लिए बिक्री विलेख से बचने के लिए मुकदमा लाना आवश्यक नहीं है।

24. हम ऊपर देख चुके हैं कि धारा 8 की उप-धारा (3) एक प्राकृतिक संरक्षक द्वारा अचल संपत्ति के निपटान को संदर्भित करती है।

उप-धारा (1) या उप-धारा (2) को शून्य के रूप में। जब कोई पंजीकृत बिक्री विलेख अमान्य होता है, तो यह तब तक वैध होता है जब तक कि कानून के अनुसार इससे बचा नहीं जाता है। पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा प्रदत्त अधिकार पूरी दुनिया के खिलाफ काफी अच्छे हैं और नाबालिग या किसी व्यक्ति के कहने पर एक प्राकृतिक अभिभावक द्वारा बेची गई संपत्ति नाबालिग की होने की स्थिति में बिक्री से बचा जा सकता है। उसके अधीन दावा करना। एक दस्तावेज़ जो अमान्य है, उसे कानूनी प्रभाव लेने से पहले वास्तव में अलग रखा जाना चाहिए। इस न्यायालय ने गोरखनाथ दुबे बनाम हरि नारायण सिंह और अन्य, (1973) 2 एस. सी. सी. 535 में शून्य और अमान्य दस्तावेज के बीच अंतर करते हुए कहाः

मुरुगन और ओआरएस। वी. केसेवा गौंडर (मृत) टीएचआर। एलआरएस। [ अशोक भूषण, जे।]

" 5 ..... हम सोचते हैं कि उन मामलों के बीच अंतर किया जा सकता है जहां कोई दस्तावेज़ पूरी तरह से या आंशिक रूप से अमान्य है ताकि किसी भी अदालत या प्राधिकरण द्वारा इसकी अवहेलना की जा सके और जहां इसे होना चाहिए।

इससे पहले कि इसका कानूनी प्रभाव समाप्त हो जाए, वास्तव में इसे अलग कर दिया जाता है। हस्तांतरण के लिए शक्ति की अधिकता में किया गया अलगाव, शक्ति की अधिकता की सीमा तक, अमान्य होगा। इस तरह के कथित अलगाव के प्रभाव पर एक निर्णय अनिवार्य रूप से भूमि में अधिकारों या हितों के परस्पर विरोधी दावों से जुड़े विवाद के निर्णय में निहित होगा जो समेकन कार्यवाही का विषय है।

25. अमृतम कुदुम्ब बनाम सरनाम कुदुम्बन, (1991) 3 एस. सी. सी. 20 में, इस न्यायालय को हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8 (3) के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था। मामले के तथ्यों को पैराग्राफ 5 में देखा गया है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 5. प्रासंगिक तथ्य यह है कि मुकदमे की संपत्ति किसकी थी

एक वीरम्मल। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम कलियम्मल था। 1948 में संपत्ति खरीदने के तुरंत बाद वीरम्मल की मृत्यु हो गई। वह अपने पीछे पति कंदय्या और उनकी बेटी को छोड़ गई हैं।

कलियामल। इसके बाद, कंदय्या ने दूसरी बार शादी की जब उनकी बेटी कलियम्मल नाबालिग थी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता का घर छोड़ दिया और अपने नाना के साथ रहती थीं, जिन्होंने उनकी रक्षा की और उनका पालन-पोषण किया। अपने अल्पमत के दौरान, कंदय्या ने 29 अक्टूबर, 1959 को जैनुलावुद्दीन को संपत्ति बेच दी। 25 अप्रैल, 1966 को जैनुलावुद्दीन ने बदले में संपत्ति को प्रतिवादी अपीलार्थी को बेच दिया। इसके बाद, 26 मई, 1966 को वादी ने एक कलियम्मल से उसके पक्ष में वाद संपत्ति की बिक्री का विलेख, जो तब तक बहुमत प्राप्त कर चुका था। इसके बाद वादी ने अपीलार्थी के खिलाफ वर्तमान मुकदमा (1968 का ओ. एस. सं. 491) दायर किया ताकि कंदय्या द्वारा की गई संपत्ति के हस्तांतरण को अलग रखा जा सके और

उसके अधिकार की वसूली "।

26. उपरोक्त मामले में विचार के लिए आए प्रश्नों में से एक यह था कि "क्या नाबालिग से अंतरिती अपने बहुमत को प्राप्त करने के बाद, नाबालिग के अभिभावक द्वारा किए गए अलगाव को दरकिनार करने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है या उक्त अधिकार का प्रयोग केवल नाबालिग द्वारा किया जाना है? इस तरह की बिक्री से बचने का हकदार व्यक्ति या तो नाबालिग है या उसके अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि या तो नाबालिग, या उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके कानूनी प्रतिनिधि, या उसके उत्तराधिकारी-ब्याज में [2019] 4 एस. सी. आर.

अंतर-विवोस हस्तांतरण के कारण उसके अधीन दावा करने वाले को ऐसे मुकदमे के लिए निर्धारित अवधि के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए, यानी तीन साल। पैराग्राफ 9 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 9. इस उप-धारा का प्रभाव यह है कि

नाबालिक के लाभ के लिए या पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना प्राकृतिक अभिभावक द्वारा अचल संपत्ति न्यायालय का आदेश अमान्य है। इस तरह की बिक्री से बचने का हकदार व्यक्ति या तो नाबालिग है या उसके अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति है। इसका मतलब यह है कि या तो नाबालिग, या उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके कानूनी प्रतिनिधि, या उसके उत्तराधिकारी को अंतर-विवोस हस्तांतरण के कारण उसके अधीन दावा करने के लिए अवधि के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए।

ऐसे मुकदमे के लिए विहित, अर्थात उस तारीख से तीन साल जिस दिन नाबालिग की मृत्यु हो गई या वह बालिग हो गया, जैसा भी मामला हो। वर्तमान मामले में, मुकदमा लाया गया था, जैसा कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा पाया गया था,

नाबालिग के बहुमत प्राप्त करने के तीन साल के भीतर। ”

27. विश्वंभर और अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण (मृत) एल. आर. के माध्यम से। और एक अन्य (ऊपर) इस न्यायालय ने कहा है कि यदि कानूनी रूप से वादी को बेची गई संपत्तियों के संबंध में कोई दावा करने से पहले बिक्री विलेखों को अलग करने की आवश्यकता थी, तो इस तरह के अनुरोध के बिना एक मुकदमा वादी के लिए कोई लाभ नहीं था। 28. इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 8 (3) के तहत अमान्य होने वाली बिक्री को दरकिनार करना, पंजीकृत बिक्री से बचने के लिए आवश्यक है।

बिक्री विलेख। हालाँकि, हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम यह मान रहे हैं कि उन सभी मामलों में जहां नाबालिग को अचल संपत्ति के निपटान से बचना है,

एक सूट लाना आवश्यक है। अचल संपत्ति का प्रभार या पट्टा का निर्माण हो सकता है जो पंजीकृत दस्तावेज द्वारा नहीं हो सकता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर कर सकता है कि क्या अचल संपत्ति के निपटान से बचने के लिए मुकदमा दायर करना आवश्यक है या यह किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है। हम वर्तमान मामले में नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक द्वारा पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा अचल संपत्ति के निपटान से संबंधित हैं, इसलिए, हम केवल नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक द्वारा पंजीकृत विलेख द्वारा अचल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में अपने विचार और चर्चा को सीमित कर रहे हैं। 29. सीमा अधिनियम, 1963 को हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 के अधिनियमन के बाद संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 60 जो "फरमानों और उपकरणों से संबंधित मुकदमों" की सीमा का प्रावधान करता है। सीमा अधिनियम मुरुगन और ओ. आर. एस. के लिए एक वार्ड के अभिभावक द्वारा की गई संपत्ति के हस्तांतरण को अलग करने पर विचार करता है।

वी. केसेवा गौंडर (मृत) टीएचआर। एलआरएस। [ अशोक भूषण, जे।]

किस सीमा को तीन वर्ष माना जाता है। अनुच्छेद 60 हालांकि सीमा अधिनियम एक मुकदमे की सीमा का प्रावधान करता है, लेकिन यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एक वार्ड के अभिभावक द्वारा की गई संपत्ति के हस्तांतरण को अलग करने के लिए एक मुकदमे पर विचार किया जाता है।

30. हम इस न्यायालय के एक निर्णय को नोटिस कर सकते हैं जिसमें बताया गया है

एलआर द्वारा माधेगौड़ा (मृत)। बनाम अंकेगौड़ा (मृत) एल. आर. द्वारा। और अन्य, (2002) 1 एससीसी 178। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय को हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 11 पर विचार करने का अवसर मिला था। उपरोक्त मामले में अभिभावक के रूप में कार्य करने वाले नाबालिग की बहन ने पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा अचल संपत्ति बेच दी। उपरोक्त संदर्भ में इस न्यायालय ने

निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

" 25 ..... निःसंदिग्ध रूप से नाबालिग की बहन श्रीमती मदम्मा,

अधिनियम की धारा 4 (बी) में परिभाषित "संरक्षक" नहीं है। इसलिए, उसे केवल "वास्तविक संरक्षक" या उससे अधिक माना जा सकता है। उचित रूप से "वास्तविक प्रबंधक"। ऐसे मामले में हस्तांतरण के लिए अधिनियम की धारा 11 पूरी तरह से लागू होती है। इसलिए, इस बात में संदेह की बहुत कम गुंजाइश है कि एक वास्तविक अभिभावक/प्रबंधक द्वारा नाबालिग के हित का हस्तांतरण नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया है।

इस तरह के अमान्य हस्तांतरण के मामले में कानूनी आवश्यकता का अस्तित्व या अन्यथा प्रासंगिक नहीं है। इस तरह के अलगाव का हस्तांतरणकर्ता संपत्ति में कोई ब्याज हासिल नहीं करता है। ऐसा अमान्य है। लेन -देन को मुकदमा या न्यायिक कार्यवाही दायर करके अलग रखने की आवश्यकता नहीं है। नाबालिग, बहुमत प्राप्त करने पर, किसी भी तरह से स्थानांतरण को अस्वीकार कर सकता है और जब भी इसका अवसर आता है। इसके बाद

बहुमत प्राप्त करना यदि वह संपत्ति में अपने हित को वैध तरीके से उसी पर अपना अधिकार जताते हुए हस्तांतरित करता है

यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि नाबालिग ने किए गए स्थानांतरण को अस्वीकार कर दिया है

"वास्तविक संरक्षक/प्रबंधक" द्वारा।

31. उपरोक्त टिप्पणियां इस न्यायालय द्वारा अधिनियम, 1956 की धारा 11 के संदर्भ में की गई थीं। अधिनियम की धारा 11 में नाबालिग के "वास्तविक अभिभावक" पर नाबालिग की संपत्ति का निपटान करने पर वैधानिक निषेध है। इस प्रकार, वास्तविक अभिभावक द्वारा किया गया स्थानांतरण अमान्य है और इसे किसी भी तरह से अस्वीकार किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से तय है कि नाबालिग या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मुकदमा दायर करना आवश्यक नहीं है।

एक शून्य विलेख को अलग रखना। एक शून्य विलेख को नजरअंदाज किया जा सकता है। उपरोक्त टिप्पणियों को अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत एक प्राकृतिक अभिभावक द्वारा किए गए हस्तांतरण पर लागू नहीं माना जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. हम इस न्यायालय के एक और निर्णय पर ध्यान दे सकते हैं जिस पर अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने भरोसा किया था, वह है जी. अन्नामलाई पिल्लई बनाम अन्नामलाई पिल्लई। जिला राजस्व अधिकारी और अन्य, (1993) 2 एस. सी. सी. 402। उक्त मामले में विचार के लिए उत्पन्न प्रश्न को निर्णय के पैराग्राफ 1 में निम्नलिखित शब्दों में देखा गया हैः

" 1. इस अपील में विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या विवाद में पट्टा विलेख, जो हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 8 (3) के संदर्भ में अमान्य था, जब वैध रूप से टाला गया था, पट्टा विलेख की तारीख से प्रभावी था ताकि लेनदेन को शून्य और अप्रवर्तनीय बनाया जा सके। शुरुआत "।

33. विवादित भूमि का स्वामित्व एक जनार्दनन के पास था। उनके पिता पुरुषोत्तमन ने अपीलार्थी के पक्ष में एक पंजीकृत पट्टा विलेख निष्पादित किया।

12.12.1971 जिस तारीख को मालिक नाबालिग था। अपीलार्थी ने किरायेदार के रूप में पंजीकृत होने के लिए तहसीलदार के समक्ष आवेदन दायर किया जिसे जनार्दनन ने चुनौती दी थी। जनार्दनन ने तर्क दिया कि उनके पिता को भूमि का सौदा करने का कोई अधिकार या अधिकार नहीं है और उनके पिता द्वारा पट्टे पर देना हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8 का उल्लंघन है। तहसीलदार ने कहा कि कोई वैध पट्टा नहीं था जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी जिसके खिलाफ फैसले की अपील दायर की गई थी। पैराग्राफ 5 और 6 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 5. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है। हमें राजस्व अधिकारियों के आदेशों, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और रिट अपील में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के माध्यम से लिया गया है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एक स्पष्ट निर्णय में, अन्नामलाई पिल्लई के सवाल का जवाब दिया-शुरुआत में हमारे द्वारा सकारात्मक और अपीलार्थी के खिलाफ-निम्नलिखित तर्क पर।

" हम पहले ही देख चुके हैं कि हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 की धारा 8 का खंड (3) विशेष रूप से लेन-देन को अमान्य बनाता है। इस मामले में अभिभावक द्वारा निष्पादित पट्टा निषिद्ध है और उस अर्थ में यह बिना किसी अधिकार के था। कानूनी प्रभावकारिता और वैध, शून्य और अमान्य समझौतों के बीच के अंतर पर, हम न्यायशास्त्र पर सैल्मंड, बारहवें संस्करण में निम्नलिखित मार्ग पाते हैं।

पृष्ठ 341:

रुगान और ओआरएस। वी. केसेवा गौंडर (मृत) टीएचआर। एलआरएस। [ अशोक भूषण, जे।]

‘ ..... एक वैध समझौता वह है जो पक्षों के इरादे के अनुसार पूरी तरह से संचालित होता है। एक शून्य समझौता वह है जो पूरी तरह से कानूनी मान्यता या मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहता है, पार्टियों की घोषित इच्छा पूरी तरह से होती है।

कानूनी प्रभावकारिता से वंचित। इन दोनों मामलों के बीच एक अमान्य समझौता है। यह एक शून्य नहीं है, लेकिन इसका संचालन सशर्त है और निरपेक्ष नहीं है। इसके मूल में किसी दोष के कारण इसे किसी एक पक्ष के विकल्प पर नष्ट या रद्द किया जा सकता है। इस शक्ति के प्रयोग पर समझौते की न केवल कोई प्रभावकारिता समाप्त हो जाती है, बल्कि इसे शुरू से ही अमान्य माना जाता है। इससे बचना इसे बनाने से संबंधित है। काल्पनिक या आकस्मिक प्रभावकारिता जिसे अब तक इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, पूरी तरह से गायब हो जाती है, जैसे कि यह कभी मौजूद नहीं था। दूसरे शब्दों में, एक अमान्य समझौता वह है जो शून्य या वैध है

इसके लिए किसी एक दल का चुनाव "।

सतगुर प्रसाद बनाम में रिपोर्ट किए गए प्रिवी काउंसिल के फैसले में भी इस अंतर को न्यायिक रूप से देखा गया है। हरनरैन दास

और एस. एन. आर. सुंदरा राव एंड संस, मदुरै बनाम खंड पीठ के निर्णय में। सीआईटी। डिवीजन बेंच ने उक्त प्रिवी काउंसिल के फैसले के बाद निम्नलिखित निर्णय दियाः

' जब कोई व्यक्ति, जो अलगाव से असहमति का हकदार है, ऐसा करता है, तो उसकी असहमति लेन-देन के संबंध में होती है और न कि केवल उस तारीख को विदेशी के कब्जे के संबंध में होती है।

असहमति। साक्ष्य का प्रभाव, इसलिए, लेन-देन से छुटकारा पाने के लिए है जिसके परिणामस्वरूप कानून में यह ऐसा है जैसे लेनदेन

ऐसा कभी नहीं हुआ था। "

इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब पांचवें प्रत्यर्थी ने अपने पिता, चौथे प्रत्यर्थी द्वारा निष्पादित पट्टे से परहेज किया, तो पट्टा अपनी स्थापना से ही अमान्य हो गया और कोई वैधानिक अधिकार नहीं था।

अतः इसमें अपीलार्थी का पक्ष लिया जा सकता है। 6. हम तर्क और निष्कर्षों से सहमत हैं

उच्च न्यायालय की खंड पीठ और इस तरह इस अपील को खारिज किया जाना है। "[2019] 4 एस. सी. आर.

34. उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करने वाले अपीलार्थियों के विद्वान वकील का तर्क है कि बलरामन द्वारा बिक्री को जब रिहाई से टाला गया है

ऐसा करना शुरू से ही शून्य हो गया। कोई झगड़ा नहीं हो सकता

जी. अन्नामलाई पिल्लई बनाम जिला राजस्व अधिकारी और अन्य (ऊपर) में निर्धारित प्रस्ताव। वर्तमान मामले में नाबालिग की ओर से बिक्री विलेख का कोई खंडन नहीं होने के कारण, अमान्य बिक्री विलेख के अमान्य होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

बालरमन द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख प्राप्त करने के लिए नाबालिग की मृत्यु की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर कार्रवाई। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बलरामन द्वारा निष्पादित बिक्री विलेखों को कानून द्वारा निर्धारित सीमा अवधि के भीतर अस्वीकार या टाला नहीं गया था। अंक संख्या 3 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है। 36. पूर्वगामी चर्चाओं को देखते हुए, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे